रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 1994/अग्रहायण 19, 1916
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 1994/AGRAHAYANA 19, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1994

सा का नि 602 – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रिमंडल सचिवालय मे पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् –

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय (पुस्तकालय एवं सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमो मे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 मे स्तम्भ 4 मे विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 मे विनिर्दिष्ट है ।

4 निरर्हता वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1994

सा. का. नि. 613 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध लिपिक श्रेणी–2/टेलीप्रिंटर प्रचालक/टेलीफोन परिचर/सारणीकार लिपिक/हिन्दी भाषा टाईपिस्ट, प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी, लिपिक श्रेणी–1/भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1)– इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हताएं :– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1 निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीप्रिंटर प्रचालक/टेलीफोन परिचर/सारणीकार	2286* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द रो 25-1500 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
लिपिक/हिन्दी भाषा टाईपिस्ट					अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा 2. अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण का ज्ञान।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	दो वर्ष

टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
क. 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। ख 5 प्रतिशत अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। ग. 5 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के	क. 5 प्रतिशत रिक्तियों पर प्रोन्नति अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर : (1) आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने समूह "घ" पदों पर 9 वर्ष नियमित सेवा की है।

11	12
आधार पर प्रोन्नति द्वारा। टिप्पण : उपरोक्त ख और ग मे उल्लिखित 10 प्रतिशत (5+5) कोटा अगले भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा।	(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियों पर प्रोन्नति समिति विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर : ख. 5 प्रतिशत रिक्तियों पर प्रोन्नति सीमित विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर : आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसें समूह "घ" कर्मचारियों में सें जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेंवा की है और जिनके पास स्तभ 8 मे विहित शैक्षिक अर्हता है, सीमित विभागीय परीक्षा मे बैठने के पात्र होगें। टिप्पण :– ऐसे विद्यमान पदधारी जो लिपिक श्रेणी – 2 टेलीप्रिंटर प्रचालक/टेलीफ़ोन परिचर/सारणीकार लिपिक/ हिन्दी भाषा टाइपिस्ट के पद पर प्रोन्नति के लिए नियमित आधार पर पोषक श्रेणी में पद धारण किए हुए हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों ने संघ लोक सवा आयोग सें परामर्श किया जाएगा।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. केन्द्र अध्यक्ष – अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर/कार्यक्रम कार्यत्रम कार्यपालक/सहायक इजीनियर – सदस्य	—

1	2	3	4	5	6	7
2. उच्च श्रेणी लिपिक/भडारी	1065* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द. रो. 40-2040 रु.	अचयन	नही	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
(क) 80 प्रतिशत अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा (ख) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति :— आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र/स्टेशनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में सें प्रोन्नति, जिन्होने 950-20-

	12
	1150-द. रो.-25-1500 रु. के वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : विद्यमान पदधारी जो लिपिक श्रेणी/भंडारी के पद पर प्रोन्नति के लिए नियमित आधार पर पोषक श्रेणी में पद धारण किए हुए है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे। (ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :— आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र/स्टेशन/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने 950-20-1150-द. रो.-25-1500 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. आंचलिक अध्यक्ष – अध्यक्ष 2. अंचल में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र का ज्येष्ठतम इंजीनियर या ज्येष्ठतम केन्द्र निदेशक – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी	316* (1994)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

9
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले से पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

8	6	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11	12
(क) 60 प्रतिशत अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। (ख) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा (ग) 20 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(क) अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति : आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों/स्टेशनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों में से जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (क) 1200-30-1500-द.रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी । (ख) 1200-30-1440-द. रो.-30-1800 रु. और 1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में केयर-टेकर (ग) 1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रु. और 1350-30-1440-40-1800 द. रो.-50-2200 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी (ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों/स्टेशनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों में से जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (क) 1200-30-1500-द.रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी

12
(ख) 1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु. और 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में केयरटेकर (क) 1200-30-1560-द०रो० 40-2040 रु० और 1350-30 1440-40-1800-द.रो.-50-2200 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी टिप्पण :—ऐसे विद्यमान पदधारी जो प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी के पद पर प्रोन्नति के लिए नियमित आधार पर पोषक श्रेणी में पद धारण किए हुए है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. आंचलिक अध्यक्ष—अध्यक्ष 2. अंचल में आकाशवाणी केन्द्रों का ज्येष्ठतम इंजीनियर या ज्येष्ठतम केन्द्र निदेशक—सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रसाशनिक अधिकारी—सदस्य 4. अंचल में आकाशवाणी/दूरदर्शन का उप-निदेशक प्रशासन—सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. 10/43/92—एस. II/बी. ए.]

विजय शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 14th November, 1994

G.S.R. 613.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information and Broadcasting, All India Radio Class III posts Recruitment Rules, 1964 in so far as they relate to the posts of CG-II/Teleprinter/Operator/Telephone Attendant|Tabular Clerk|Hindi Language Typist, Head Clerk|Accountant|Senior Storekeeper, Clerk Grade I|Storekeeper except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the All India Radio and Doordarshan, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, Group 'C' posts Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualification etc.—The method of recruitment to the said posts age limit, specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts :

Prvided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Lower Division Clerk/Teleprinter Operator/Telephone Attendant/ Tabulator Clerk/ Hindi Language Typist	2286* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Non-selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation if any
7	8	9	10
Age : Between 18 and 25 years (relaxable in case of Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	1. Matriculation or an equivalent examination from a recognised Board/University; 2. Knowledge of typing at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi or in any other language listed in the English Schedule of the Constitution. Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of tke Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribs if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational qualification : Yes.	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, or by deputation/transfer and pecentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
A. 90% by direct recruitment through Staff Selection Commission; B. 5% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit;	A. Promotion to the 5% vacancies on the basis of seniority subject to the rejection of the sunfit; (i) From amongst Group 'D' employees of All India Radio/ Doordarshan having nine	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion/ confirmation); 1. Station Head—Chairman 2. Assistant Station Director/ Assistant Station Engieer/	

C. 5% by promotion on the basis of limited departmental competitive examination. Note :—The 10% quota (5+5) at B and C above shall not be carried forward to the next recruitment years.	years regular service in Group 'D' posts; and (ii) possessing the educational qualifications prescribed in column 8. B. Promotion to the 5% vacancies on the basis of limited departmental competitive examination : From amongst Group 'D' employees of All India Radio/Doordarshan with five years regular service and possessing the educational qualification prescribed in column 8 shall be eligible to appear in the limited departmental examination. Note.—The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for promotion to the post of Clark Grade II/ Teleprintar Operator/Telephone Attendant/Tabular Clerk/Hindi/ Langage Typist shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of this notification.	Programme Executive/Assistant Engineer—Member 3. Administrative Officer—Member	

1	2	3	4	5	6
2. Upper Division Clerk/Store Keeper	1065* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-Selection	No

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
(a) 80% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit; (b) 20% promotion on the basis of limited Departmental Competitive Examination.	A. Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit : Promotion from amongst Lower Division Clerk working in All India Radio/Doordarshan Kendra, Stations/Offices with eight years regular service in the grade of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500. Note :—The existing incumbents holding the feeder grader post on regular basis for promotion to the post of Clerk Grade-I/ Store Keeper shall continue to be eligible for promotion on the basis of publication of this notification. B. Promotion on the basis of limited Department Competitive Examination. From amongst Lower Division Clerks working in All India Radio /Doordarshan Kendra, Station/Offices having five years regular service in the grade of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Departmental promotion Committee (for considering promotion and confirmation) Zonal Head—Chairman 2. The Seniormost Engineer or Seniormost Station Director of All India Radio Station/Doordarshan Kendra in the Zone —Member 3. Senior Administrative Officer/ Administrative Officer in the absence of Senior Administrative Officer—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Head Clerk/ Accountant/ Senior Store Keeper.	319* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Non-Selection	No

7	8	9	10
Between 18 and 25 years (relaxable in case of Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar islands or Lakshadweep).	Degree or equivalent of a recognised University. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years for direct recruits.

11	12	13	14
(A) 60% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit. (B) 20% by limited departmental competitive examination. (C) 20% by direct recruitment through Staff Selection Commission.	A. Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit. From amongst the following grades of employees working in All India Radio/Doordarshan Kendras Stations Officers with five years regular service in their respective grade: (a) Upper Division Clerk/Store Keepers in the scale of Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040. (b) Caretakers in the pay scale of Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800 and Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040; and (c) Junior Reception officers in the pay scale of Rs. 1200-30-1560 EB-40-2040 and Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200. B. Promotion on the basis of limited departmental competitive examination ; From amongst the following grades of employees working in All India Radio/Doordarshan Kendras Stations/offices with three years regular services in their respective grade : (a) Upper Division Clerks/ Store Keepers in the scale of Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040. (b) Caretakers in the pay scales of Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800-and Rs. 1200-30-1560 EB-40-2040; and	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation). 1. Zonal Head —Chairman 2. The Seniormost Engineer or seniormost Station Director of all India Radio Station in Zone—Member 3. Senior Administrative Officer/ Administrative officer— Member. 4. Deputy Director of Administration of All India Radio/Doordarshan Kendra in the Zone.— Member	Not applicable.

11	12	13	14
	(c) Junior Reception officers in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 and Rs. 1350-30 1440-40-1800 EB-50-2200. Note.—The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for promotion to the post of Head Clerks/Accountant/Senior Storekeepe shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of this notification.		

[No.10/43/92-S-II/B (A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994